राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 05/2015
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2015/00009
दायर दिनांक– 29.06.2015
निर्णय दिनांक– 02.05.2023

उनवानी

1. आनन्दसिंह मुत. नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खाजपुरा, तहसील रूपनगढ(फौत)
   1/1. किशन कंवर पत्नि आनन्द सिंह
   1/2. कल्याण सिह पुत्र आनन्द सिंह
   1/3. सुमेर सिंह पुत्र आनन्द सिंह

—प्रार्थीगण

बनाम

1. पृथ्वीसिंह पुत्र पदमसिंह
2. विक्रमसिंह पुत्र पदमसिंह
   सर्वजाति राजपूत, सर्वनिवासी ग्राम खाजपूरा , तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थीगण
2. श्री गौरीशंकर बियाणी, अरविन्द दाधीच अधि0 अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम खाजपुरा, पटवार हल्का जाजोता , भू–अभिलेख क्षेत्र भदूण के ख0न0 269 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवस्थित है। प्रार्थी क़ी उक्त खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में ख0न0 270 व दक्षिण दिशा में ख0न0 268 स्थित है।पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि ख0न0 272 तथा अप्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि ख0न0 272/2 तथा आबादी की भूमि ख0न0 272/3 व आवादी भूमि 272/1 स्थित है। प्रार्थी के पूर्व, उत्तर, दक्षिण दिशा में निजी काश्तकारों की भूमि है जहां से पहुंच हेतु निकटतम कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की भूमि ख0न0 269 के पश्चिम दिशा में लगती हुई ख0न0 272/3 की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है उक्त आवासीय भूमि के लगती हुई प्रार्थी की भूमि के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 की ख0न0 272/2 की कृषि भूमि एवं उसके आगे अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख0न0 272 है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 269 तक पहुंच के लिए अपनी भूमि के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी की भूमि के उत्तर पश्चिम कोने से होकर अप्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि 272/2 में [illegible] सीध से उत्तर दिशा की तरफ 12 फीट चौड़ा रास्ता उसके आगे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि के बीच के मध्य से 6–6 फीट से होता हुआ पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ जाते हुए मुख्य गांव के रास्ता तक चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:50:26 IST
Reason: SelfAttested

02.5.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उक्त रास्ता प्राप्त होने पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में गांवाई रास्ते से होकर अपने खेत तक आ सकते है, जो सुगम, सुलभ व निकटतम रास्ता है। प्रार्थी की भूमि के पश्चिम दिशा में ख0न0 272/3 आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि होने से उसमें से रास्ता लिया जाना कानून विरूद्ध हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 को मौखिक रूप से जून 2015 को निवेदन किया कि सहमति से रास्ता कायम करवाये परन्तु अप्रार्थीगण ने मना कर दिया तब से वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि अप्रार्थीगण की भूमि से चाहा गया रास्ता स्वीकृत करवाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थी की मृत्यु होने की सूचना व संशोधित शीर्षक पेश किया। तदनुसार प्रार्थी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। वकील अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गयी, जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गयी। प्रकरण में (अप्रार्थी संख्या 3) पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर दिनांक 16.12.2019 को जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थीगण के ख0न0 269 में आबादी भूमि ख0न0 273 में से आने जाने हेतु 5–6 फीट रास्ता उपलब्ध है जो प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के अनुरूप नहीं है। ख0न0 272 में शौचालय व स्नानघर बने हुये है। इस निर्माण से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में व्यवधान उत्पन्न होगा। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने वादवर्णित भूमि में से चाहा गया रास्ता राजस्व रिकार्ड में तरमीम करने हेतु निवेदन किया व प्रार्थीगण की भूमि तक जाने का सबसे सुलभ, निकटतम दूरी का यही एकमात्र रास्ता है। प्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण अपने लिखित बहस के तथ्य को दोहराते हुए पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ के जवाब को आधार मानते हुए प्रार्थी को रास्ता दिया जाना विधि विरूद्ध बताया।

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने खेत ख0न0 269 में जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि से रास्ता चाहा है, लेकिन दस्तावेजात् के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस के तथ्यों के आधार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता विधि–सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट जाजोता मजमे–आम में सुनाया व शामिल पत्रावली किया गया।

02.5.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:50:26 IST
Reason: SelfAttested